(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–7–2004 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 34/2002–03/अपील.

गजराज सिंह पुत्र भुजबल सिंह
निवासी ग्राम बूढाखेडा
तहसील आरोन जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

ओम कृष्ण पुत्र कन्हीराम
निवासी ग्राम बूढाखेडा
तहसील आरोन जिला गुना .....अनावेदक

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत बूढाखेडा द्वारा दिनांक 11–8–98 को आदेश पारित कर अनावेदक ओम कृष्ण के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र होने से ग्राम बूढाखेडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 306 रकबा 0.481 पर नामांतरण स्वीकृत किया गया । ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी आरोन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–8–2000 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, आरोन को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि प्रकरण में इश्तहार का विधिवत प्रकाशन कराया जाकर उभय

पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 23–3–2002 को आदेश पारित कर अनावेदक के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, आरोन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनारंक 28–8–2002 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–7–2004 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का अनुबंध पत्र भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित कर कब्जा भी सौप दिया गया था, तभी से वह प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज है, इसके बाजवूद भी तहसीलदार द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का वाद व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालयों को नामांतरण की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय से स्थगन होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे, अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक का नामांतरण स्वीकृत करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया है, और पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण स्वीकृत किये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा

तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई है । जहां तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने संबंधी आवेदक के तर्क का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल कब्जे के संबंध में स्थगन दिया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2004 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर